रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-12

REGISTERED No. D. (D.N.)-12



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1987/फाल्गुन 11, 1908
No. 97] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1987/PHALGUNA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1987

अधिसूचना

का०आ० 152(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 803(अ) तारीख 4 दिसम्बर, 1984 के अधीन पंजाब राज्य में जालन्धर, पटियाला व फिरोजपुर के न्यायिक जोनों के बाबत राजस्थान राज्य के जोधपुर में अपर विशेष न्यायालय की स्थापना की है, और पंजाब राज्य में जालन्धर के न्यायिक जोन में किए गए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित अपराधों के बाबत एक मामला उत्पन्न हो गया है,

और पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों के बाबत एक लिखित रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध अन्तर्विष्ट है,

और केन्द्रीय सरकार की, पंजाब राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों, उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पंजाब में मौजूद असाधारण स्थिति तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, यह राय है कि यह सभी चीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थापित अपर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थापित अपर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम सं.	मामले की विशिष्टियां	भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध (1860 का 45)	न्यायिक जोन जिसमें उक्त अपराध किए गए थे।
1	2	3	4
1.	आर.सी. 6/84-एस.आई.यू.-III/एस.आई.सी./सी.बी.आई. तारीख 7 सितम्बर, 1984	धारा 121, 121क, 122, 123, 212 और 216	जालन्धर

[सं. 5/7/85—विधिक सैल]
श्री.जी. सोमैया, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd March, 1987

NOTIFICATION

S.O. 152(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Jodhpur in the State of Rajasthan in relation to the judicial zones of Jalandhar, Patiala and Ferozepur in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 803(E) dated the 4th December, 1984.

And, whereas, a case has arisen involving scheduled offences, specified in the schedule annexed hereto, committed in the judicial zone of Jalandhar in the State of Punjab ;

And, whereas, the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of Section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto ;

And, whereas, the Central Government, having regard to the said report of the State Government of Punjab, the provisions of sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the said case, the extraordinary situation existing in Punjab and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

S. No.	Particulars of the case	Offences under the Indian Penal Code (45 of 1860)	Judicial Zone in which said offences were committed
1	2	3	4
1.	RC. 6/84 SIU. III/ SIC/CBI dated, 7th September, 1984	Sections 121, 121A, 122, 123, 212 and 216	Jalandhar

[No. 5(7)/85 Legal Cell)

C.G. SOMIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1987/फाल्गुन 11, 1908
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1987/PHALGUNA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1987

नोटिस

का. आ. 153(अ) :—जबकि केन्द्रीय सरकार ने मांग तथा अधिग्रहण अचल सम्पत्ति अधिनियम, 1952 (1952 के संख्या XXX) की धारा 7 की उपधारा—1 के परन्तुक के अधीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अमृतसर को, जो अनुबन्ध अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति के मालिक हैं, नोटिस जारी किया था कि वे कारण बताए कि उसमें वर्णित निश्चित अवधि के भीतर यह सम्पत्ति क्यों अधिग्रहित न कर ली जाए,